

25.04.18

दिनांक 18.04.18 पर प्राप्त जमीने का अधिकांश  
अंश के परमावली खाता नं. 11.01.01 पेयडूरी  
का 10 मीटर अन्तर्गत के खाते  
कारिका के अनुसार खातों की  
भावना के कारण 02.05.18 को  
पेश हो।

जिला कलेक्टर, बीसा

02.05.18 आधेवक्ता कमीठ व खानकीप आधेवक्ता  
उपरोक्त ग्राम प्रकरण का निर्णय हेतुका  
है इसलिए प्राठपत्र स्वयंसेवक विचारधीन  
रहके जाने का कोई औपदेश नहीं  
है किंतु प्राणी का प्राठपत्र स्वयंसेवक  
स्वारेज किया जाता है। ग्राम प्रकरण  
में संलग्न रहे सुखे कायालय सुकमा  
गया।

जिला कलेक्टर  
बीसा

